संख्या- 2280/सैतीस-2-2013-1(45)/12

प्रेषक,

हृदय शंकर तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ. प्र., लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊः: दिनांक- 17 जून, 2013

विषयः "उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013" के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना ।

महोदय,

उ0प्र0 में 108 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते हैं। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते हैं। कुक्कुट मांस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर के चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे हैं। जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 365 करोड़ अण्डे तथा 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात होने के कारण प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भारी मुद्रा प्रवाह होता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु कुक्कुट विकास नीति–2013 निर्गत की गयी है, जिसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

योजनान्तर्गत प्रथम चरण में अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डे प्रदेश में ही उत्पादित करने के लिए 5 वर्षो में 123 लाख कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की 410 इकाईयों की स्थापना की जायेगी। इस योजना को संचालित करने से 5 वर्षो में लगभग 370 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्रदेश में प्रतिवर्ष होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप अण्डों को अन्य प्रदेशों से आयात करने की आवश्यकता नही रहेगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ब्रायलर पालन को लाभकारी एवं सुदृढ़ करते हुए ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजों के समतुल्य प्रदेश में ही इन्हें उत्पन्न करने के उद्देश्य से 6 लाख ब्रायलर पैरेन्ट पक्षियों के पाले जाने हेतु ब्रायलर पैरेन्ट इकाईयों की 5 वर्षो में 10000 पक्षियों की 60 इकाईयों की स्थापना की जानी है।

उक्त दोनो योजनाओं से प्रदेश में कुक्कट विकास कार्यक्रम सुदृढ़ होगा तथा भारी संख्या में स्वरोजगार उपलब्ध हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त योजना से भारी मात्रा में प्रदेश के बाहर निजी क्षेत्र में जा रहा राजस्व का प्रवाह भी रूकेगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013 (शासनादेश संख्या–13मु0स/सैतीस–2–2013–1(45)/12टीसी0 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्गत) के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म इकाई की स्थापना हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः–

1. **योजनायेंः–**

1.1 कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना

योजना का सारांश (30000 पक्षियों की एक इकाई हेतु)

1.	योजना का नाम	कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना
2.	योजना का वित्त पोषण	राज्य योजना
3.	योजना का कार्यक्षेत्र	समस्त जनपद

4.	पक्षियों की संख्या	30000
5.	इकाई पर कुल व्यय	रू0 180.00 लाख (रू0 600/– प्रति
	(i) बैंक ऋण 70% (राष्ट्रीयकत बैंक)	रू0 126.00 लाख
	(ii) मार्जिन मनी 30%	रू0 54.00 लाख
6.	रोजगार सृजन	60 (500 पक्षियों पर एक रोजगार)
7.	उद्यमी की एक वर्ष की शुद्ध आय	रू0 32.00 लाख औसत
8.	5 वर्षो में 10 प्रतिशत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 40.00 लाख अधिकतम
9.	एक इकाई से 5 वर्षो में कुल अण्डा उत्पादन	90.00 लाख

उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त वास्तविक ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 40.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी।

1.2 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना

योजना का सारांश (10000 पक्षियों की एक इकाई हेतु)

1.	योजना का नाम	ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना
2.	योजना का वित्त पोषण	राज्य योजना
3.	योजना का कार्यक्षेत्र	समस्त जनपद
4.	पक्षियों की संख्या	10000
5.	इकाई पर कुल व्यय	रू0 206.50 लाख
	(i) बैंक ऋण 70% (राष्ट्रीयकत बैंक)	रू0 145.00 लाख
	(ii) मार्जिन मनी 30%	रू0 61.50 लाख
6.	रोजगार सृजन	1500
7.	उद्यमी की एक वर्ष की शुद्ध आय	रू0 50.00 लाख औसत
8.	5 वर्षो में 10 प्रतिशत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 45.00 लाख अधिकतम
9.	01 इकाई से 5 वर्षो में कुल चूजा उत्पादन	162.00 लाख

उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त वास्तविक ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 45.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी।

2. उक्त योजनायें समस्त उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी।

3. उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 कुक्कुट विकास परिषद् द्वारा किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यमी को पशुपालन विभाग में आवेदन करना होगा। तदोपरान्त Letter of Comfort जारी होने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करने की समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।

5. उद्यमी की पात्रता

5.1 उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमी को आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि उद्यमी द्वारा प्रदेश में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत भूमि क्रय की जाती है तो कर एवं निबन्धन अनुभाग–7, उ0 प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या–K.N.7-344/11-2012-312 (98)/2012 लखनऊ दिनांक 01.04.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में उद्यमी को छूट अनुमन्य होगी, परन्तु शर्त यह है कि उद्यमी को कामर्शियल लेयर पक्षियों की प्रति इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 3 एकड़ भूमि तथा पैरेन्ट ब्रायलर की प्रति इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम 6 एकड़ भूमि हेतु यह छूट अनुमन्य होगी।

5.2 स्टाम्प ड्यूटी में उक्त छूट प्राप्त करने हेतु उद्यमी द्वारा इस आशय का लिखित शपथ–पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कुक्कुट विकास नीति–2013 में उल्लिखित योजनाओं में ही किया जायेगा तथा एक वर्ष के अन्दर योजना प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गयी स्टाम्प ड्यूटी की छूट धनराशि ब्याज सहित उद्यमी को वापस करनी होगी।

5.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उद्यमी द्वारा अपनी भूमि पर कुक्कुट विकास नीति के अनुरूप उपरोक्त कोई इकाई स्थापित की जाती है तो उस पर धारा–143 यू0पी0 जेड.एल.ए. के अन्तर्गत लैण्ड यूज का संशोधन करना आवश्यक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग का शासनादेश संख्या–1192/एक–1–2012–24 (2)/2012 दिनांक 24 दिसम्बर 2012 संलग्न है।

6. कार्य प्रारम्भ करने की औपचारिकतायें

6.1 सर्वप्रथम उद्यमी को निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 कुक्कट विकास परिषद् को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र देना होगा (संलग्नक–प्रारूप–A/B)। प्रार्थना पत्र का प्रारूप कार्यालय संयुक्त निदेशक (कुक्कुट), निदेशालय, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट–http://animalhusb.up.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर उद्यमी प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से भी निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेगा।

6.2 निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नीति अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर "कुक्कुट निवेश एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ" की स्थापना की जायेगी, जो योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगा तथा उद्यमियों की कठिनाईयों का निराकरण करेगा। जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करायेगें एवं उद्यमियों को कठिनाईयों का निराकरण तत्परता से सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन/प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगें।

6.3 निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 / उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्ष में गठित समिति उद्यमी द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण कर स्थल का भ निरीक्षण करेगी तथा विलम्बतः 15 दिनों में उद्यमी को Letter of Comfort जारी करेगी।

6.4 निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा जारी Letter of Comfort किसी भी प्रकार से ऋण की गारन्टी नही होगा अपितु उद्यमी को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगा तथा इसका विधिक उपयोग नही होगा। यह केवल इस बात का सूचक होगा कि प्रथमदृष्टया उद्यमी का चयन उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कर लिया गया है परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करना उद्यमी का स्वयं का दायित्व होगा तथा इसके लिए उद्यमी द्वारा समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगीं।

6.5 ऋण स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त के अवमुक्त होने की सूचना संलग्न प्रारूप–C पर बैंक द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को दिया जायेगा।

6.6 समिति द्वारा फार्म की स्थापना की प्रगति के कम से कम दो निरीक्षण किये जायेगें।

6.7 उद्यमी द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति की मांग प्रत्येक त्रैमास में बैंक स्टेटमेन्ट की मूल प्रति के साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, पशुपालन विभाग/अध्यक्ष, उ0प्र0 पोल्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी, जिसके परीक्षणोपरान्त भुगतान, एक माह में उद्यमी के एकाउन्ट में किया जायेगा। उद्यमी यदि बैंक को ऋण का समय से भुगतान नहीं करता है तो ऐसी दशा में बैंक को अतिरिक्त ब्याज देने की जिम्मेदारी भी लाभार्थी की होगी। साथ ही यदि लाभार्थी बैंक का कर्ज लौटाने में डिफाल्टर होता है तो ऐसी दशा में उद्यमी को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा तथा डिफाल्टर होने के पश्चात बैंक को ब्याज की भरपाई करने का दायित्व शासन का नहीं होगा तथा उस समय तक दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि उद्यमी को वापस करनी होगी।

6.8 पॉच वर्षो में लिये गये ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज दर तक की प्रतिपूर्ति का लाभ पूर्ण हो जाने के बाद उद्यमी को पशुपालन विभाग द्वारा Completion of Subsidy in Interest Amount का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

6.9 कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली पोल्ट्री इकाइयों पर देय अन्य लाभों के सम्बन्ध में अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगें।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू.ओ.ई.–2–558/X–13, दिनांक 06–06–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि ।

भवदीय,

17/6/13

(ह्रदय शंकर तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या : 2280(1)/ सैतीस–2–2013, तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
13. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद्, लखनऊ।
16. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. पशुधन अनुभाग–1
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

17/6/13

(हृदय शंकर तिवारी)
विशेष सचिव